

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-14112025-267674
SG-DL-W-14112025-267674

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]	दिल्ली, नवम्बर 7— नवम्बर 13, 2025, बृहस्पतिवार/कार्तिक 16— कार्तिक 22, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 324
No. 12]	DELHI, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2025, THURSDAY/KARTIKA 16— KARTIKA 22, 1947	[N.C.T.D. No. 324

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

फा. सं. 48/जी-2/ जनरल-1/ओ.सी./ पी.एच.सी./डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) की धारा 139 (ख), 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा यथा संशोधित एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333(1)(ख) तथा शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 3(2)(क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश खंड IV, (सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7) के अध्याय 12-ख के परिच्छेद 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार तथा इस न्यायालय के परिपत्र संख्या 332/सामान्य-11/डी.एच.सी. दिनांक 14/9/2001, जिसमें इस न्यायालय द्वारा शपथ आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं, में निर्धारित शर्तों के अध्वधीन दिनांक 16.11.2025 से 15.11.2027 तक दो वर्ष की अवधि हेतु या इस

न्यायालय के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, शपथपत्रों के शपथकर्ताओं को शपथ और प्रतिज्ञान दिलाने के लिए, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति सहर्ष करता है :

क्रम सं.	अधिवक्ताओं के नाम
1.	श्री मनीष पांचाल (पंजी. सं. डी/1773/2022)
2.	सुश्री मेघा पाराशर (पंजी. सं. डी/6532/2020)

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2025

F. No. 48/G-2/Genl.-I/OC/PHC/DHC.—In exercise of powers conferred by Section 139(b) of the Code of Civil Procedure (Act V of 1908) as amended by Amendment Act No.104 of 1976 and Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969, High Court of Delhi has been pleased to appoint the following advocates as Oath Commissioners in **Patiala House Courts, New Delhi**, for a period of two years w.e.f. **16.11.2025 to 15.11.2027** or until further orders of this Court, whichever be earlier, for administering oaths and affirmations to deponents of affidavits in accordance with terms specified in paragraph 5 of Chapter 12-B, Punjab High Court Rules and Orders Volume IV (read with Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966) and subject to the conditions laid down in this Court's circular No. 332/Genl.-II/DHC dated 14/09/2001 containing instructions to Oath Commissioners issued by this Court:-

Sl. No.	Name of Advocates
1.	Sh. Manish Panchal (Enrl. No. D/1773/2022)
2.	Ms. Megha Parashar (Enrl. No. D/6532/2020)

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General